



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2019/आश्विन 4, 1941

No. 567]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2019/ ASVINA 4, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 692(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन नियम, 2019 है।
2. ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियम, 1971 में,—

(i) नियम 4 में उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (4) में “धारा 4 की उपधारा (1)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “धारा 3ख या धारा 4 की उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) प्ररूप “ट” के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“प्ररूप ठ

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की

धारा 3ख के अधीन सूचना का प्ररूप

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

मेरी, निम्न हस्ताक्षरकर्ता की, नीचे विनिर्दिष्ट आधारों के अनुसार यह राय है कि आप नीचे की अनुसूची में उल्लिखित आवासिक वास का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे हैं।

अतः, अब, अधिनियम की धारा 3ख की उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप तीन कार्य दिवस के भीतर कारण दर्शित करें कि बेदखली का ऐसा आदेश क्यों न दिया जाए।

आप मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत ऐसे प्रतिनिधि के माध्यम से, जो मामले से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, साक्ष्य सहित जिसे आप दर्शित कारण के समर्थन में प्रस्तुत करने का आशय रखते हैं, उपस्थित हो सकेंगे। यदि आप कारण दर्शित करने में और/या नियत समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो मामले को एकपक्षीय विनिश्चित कर दिया जाएगा।

अनुसूची

तारीख.....

संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा”।

[फा. सं. 21013/7/2004-पोल.।(वोल. VI)]

के. संजय मूर्ति, अपर सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1883, तारीख 13 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 741, तारीख 8 अगस्त, 1981; सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 29 सितम्बर, 1986; सा.का.नि. 3(अ), तारीख 2 जनवरी, 1998; और सा.का.नि. 338 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Directorate of Estates)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2019

G.S.R. 692(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Rules, 1971, namely:—

1. These rules may be called the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Rules, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Rules, 1971,—
 - (i) in rule 4, in sub-rules (1), (3) and (4), for the words, brackets and figure "**sub-section (1) of section 4**", the words, brackets, figures and letter "**section 3B or sub-section (1) of section 4**" shall be substituted;
 - (ii) after Form 'K', the following form shall be inserted, namely:—

“FORM L

Form of notice under section 3B of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971
To

Shri/Smt.....

Whereas, I, the undersigned, am of the opinion, on the grounds specified below that you are in unauthorised occupation of the residential accommodation specified in the Schedule below.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3B of the Act, I hereby call upon you to show cause within three working days why an order of eviction should not be made.

You may appear before me in person or through a duly authorised representative capable to answer all material questions connected with the matter along with the evidence which you intend to produce in support of the cause shown. In case, you fail to show cause and/or appear within the stipulated time, the case will be decided ex parte.

SCHEDULE

Date.....

Signature and seal of Estate Officer".

.....

[F.No. 21013/7/2004-Pol.I(Vol.VI)]

K. SANJAY MURTHY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 1883, dated the 13th December, 1971 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 741, dated the 8th August, 1981; G.S.R. 1114(E), dated the 29th September, 1986; G.S.R. 3(E), dated the 2nd January, 1998; and G.S.R. 338(E), dated the 10th April, 2017.